

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on page No. 3944

Dated : 12-10-96

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

9

वर्धमान

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1996

का. प्रा. 2899.—केन्द्रीय सरकार, भवन और
संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
(1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (1)
का प्रयोजन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. प्रा. 1767,
दिनांक 17 मई, 1996 को अधिकृत करते हुए
उन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा
शर्तियों) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)
प्रयोजनों के लिए किसी नियोजक द्वारा उक्त संनिर्माण
कार्य के 1 प्रतिशत की दर से उपकर विनिर्दिष्ट करती

[का. सं. एस-61011/9/95-प्रार. कल्प. (भाग)]
डी. के. त्रेहन, श्रम और नियोजन सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1996

S.O. 2899.—In exercise of powers conferred by
sub-section (1) of section 3 of the Building and
Other Construction Workers' Welfare Cess Act,
1996 (28 of 1996) and in supersession of the noti-
fication of the Government of India in the Ministry
of Labour No. S. O. 1767 dated the 17th May,
1996, the Central Government specifies a cess for
the purposes of the Building and Other Construc-
tion Workers (Regulation of Employment and
Other Conditions of Service) Act, 1996 (27 of
1996), at the rate of 1 per cent, of the cost of
construction incurred by an employer.

[F. No. S-61011/9/95-RW(Part)]
D. K. TREHAN, Labour & Employment Adviser